राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या– प0नि0 30–67/2026 3480

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला दंडाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 28.8.26

विषय :– वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित जनसंख्या Enumeration Block की चौहद्दी आयोग के मोबाईल ऐप पर अंकित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उर्पयुक्त विषयक पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या–10745, दिनांक–20.07.2026 द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायतों का परिसीमन नये सिरे से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। परिसीमन के क्रम में ग्राम पंचायत व पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का पुनर्निधारण हेतु जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्र का यथासंभव समान वितरण किया जाना है। वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित Enumeration Block की जनसंख्या व चौहद्दी तथा Enumeration Block का मैप सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है जिसे आयोग के परिसीमन Module के Monitoring Login से डाउनलोड किया जा सकता है। Enumeration Block की चौहद्दी से संबंधित 09 बिन्दुओं (North, South, East, West, North East, North West, South East, South West & Centre) की प्रविष्टि आयोग के मोबाईल ऐप के माध्यम से की जानी है। उक्त से संबंधित प्रशिक्षण सभी जिलों को दिनांक–25.08.2026 को Video Conferencing के माध्यम से दिया गया है एवं डेमो ऐप भी उपलब्ध कराया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज की इकाईयों के त्रुटिरहित व समयवद्ध परिसीमन के निमित्त राजस्व ग्राम अंतर्गत Enumeration Block मैप के आधार पर मोबाईल ऐप से चौहद्दी की प्रविष्टि निमित दिशा संबंधी 9 बिन्दुओं की प्रविष्टि प्रखंड लॉगिन से की जानी है। यह कार्य दिनांक–10.09.2026 तक पूर्ण कर लिया जानी है।

अतएव Enumeration Block की चौहद्दी से संबंधित PPT की प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कर्मी को ससमय कार्य निष्पादित किये जाने हेतु आदेशित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभजन

ह० 28.8.26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– प0नि0 30–67/2026 3480

दिनांक– 28.8.26

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 28.8.26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।